प्रेषक,

संख्या-2858/71-2-15-37/15

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2015

विषय- निजी क्षेत्र के मेडिकल डेण्टल कालेजों के एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण।

महोदय,

उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेन्टल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5(W-48) दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकितसा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06.07.2015 एवं 07.07.2015 को आयोजित की गयी।

2- समिति द्वारा उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-10(1) को संज्ञान में लेते हुए निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को अवधारित करने हेतु निम्नवत मानदण्ड निर्धारित किए गये:-

(I) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरे ही मेडिकल कालेज/डेन्टल कालेज की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अनुमन्य की जायेगी।

(II) वर्ष 2013-14 के Audited Balance Sheet आधार पर वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 की फीस का निर्धारण Wholesale Price Index के अनुसार Inflation की दर पर आंकलित किया जाना औचित्यपूर्ण होगा। यह Inflation की दर केवल Operating Cost (वेतन भत्तें आदि आवर्ती व्यय) पर अनुमन्य होगी। Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य होगा।

(III) कालेजों की फीस निर्धारित करते समय प्रति छात्र व्यय भार पर 07 प्रतिशत का Development Allowances दिये जाने पर विचार किये जाने का औचित्य पाया गया।

(IV) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित है एवम उनका लेखा पृथक नही है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses भी चल रहा है एवं लेखा पृथक नही है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग नर्सिंग कोर्सेज के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को घटा दिया जायेगा।

(V) समिति द्वारा विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया कि भविष्य में बढ़ती मंहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्ययवृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से Variable Cost पर प्रचलित 2014-15 के WPI (होलसेल प्राइस

इन्डेक्स) के आधार पर 5.66 प्रतिशत के हिसाब से आगामी तीन वर्षों तक का अ... निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया जाए।

(VI) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ क... मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 6 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के म... रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 7 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना है।

3- उपर्युक्त अधिनियम-2006 की धारा-10(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों यथा- डेण्टल कालेज आजमगढ़, सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ डेण्टल एण्ड मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेण्टल स्टडीज एण्ड रिसर्च, मुरादनगर, गाजियाबाद, आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, पूर्वान्चल इंस्टीटयूट ऑफ डेण्टल साइंसेज, गोरखपुर, महाराणा प्रताप डेण्टल कालेज, कानपुर एवं मेयो इंस्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (मेडिकल कालेज), बाराबंकी द्वारा फीस निर्धारण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ को दिये गये प्रत्यावेदन के क्रम में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/अंकेक्षित बैलेन्स शीट (Audited Balance Sheet) आदि प्रपत्रों का निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षण किया गया और संस्था को शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 29.07.2015 को सुनवाई का अवसर दिया गया।

4- समिति के विचार से संस्थानों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों की प्रवेश क्षमता MCI / DCI नार्मस के आधार पर स्वीकृत होती है, जिससे संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे एवं छात्र अपने शिक्षण में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर डिग्री/प्रमाण-पत्र हासिल कर सके। अतः समिति द्वारा संस्थानों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के आधार पर ही शुल्क निर्धारण किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

5- शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा उक्त संस्थानों के वर्ष 2013-14 की प्रमाणित बैलेन्स शीट को आधार मानकर वर्ष 2014-15 के लिए व्यय धनराशि का आंकलन किया गया। इस प्रकार से प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2015-16 के लिए 5.66 प्रतिशत WPI (होल सेल प्राइस इन्डेक्स) की बढ़ोत्तरी रेट आफ इन्फ्लेशन को आधार मानकर शुल्क की गणना की गयी, प्राप्त धनराशि में वर्ष 2016-17 के लिए पुनः WPI इन्डेक्स के आधार पर 5.66 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी इस प्रकार वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में की गयी बढ़ोत्तरी का औसत मूल्य निकालकर तथा इस प्रकार से प्राप्त आंकलित धनराशि पर विकास मद में 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए अन्तिम शुल्क निर्धारित किया गया है।

6- विषयगत संस्थानों के शुल्क निर्धारण संबंधी गणना प्रपत्र संलग्न है।

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपयुक्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल/डेण्टल कालेजों में चल रहे एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए निम्नवत् शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें हैं:-

क्र0सं0	मेडिकल/डेण्टल कालेज का नाम	जिला	पाठ्यक्रम	निर्धारित किया गया अधिकतम शुल्क प्रतिवर्ष प्रति छात्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	डेण्टल कालेज आजमगढ़	आजमगढ़	BDS	रू0 2,58,700/-	
2.	सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ डेण्टल एण्ड मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	लखनऊ	BDS	रू0 2,82,600/-	
			MDS	रू0 3,58,900/-	

3.	आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेण्टल स्टडीज एण्ड रिसर्च, मुरादनगर, गाजियाबाद	गाजियाबाद	BDS MDS	रू0 3,30,600/- रू0 7,53,600/-	
4.	आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर	BDS MDS	रू0 3,12,100/- रू0 7,23,200/-	
5.	पूर्वान्चल इंस्टीटयूट ऑफ डेण्टल साइंसेज, गोरखपुर	गोरखपुर	BDS	रू0 2,40,000/-	
6.	महाराणा प्रताप डेण्टल कालेज, कानपुर	कानपुर	BDS	रू0 2,74,500/-	
7.	मेयों इंस्टीयूयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (मेडिकल कालेज), बाराबंकी	बाराबंकी	MBBS	रू0 7,34,300/- (केवल 01 वर्ष के लिए)	मेयो इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज (मेडिकल कालेज), बाराबंकी के सम्बन्ध में केवल शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए (केवल एक वर्ष के लिए) शुल्क का निर्धारण किया जा रहा है, क्योंकि इनका बैच अभी उत्तीर्ण नहीं हुआ है और उक्त संस्थान द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल)469/2014 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2014 के अनुपालन में वर्ष 2014-15 बैच के छात्रों से केवल शासकीय दर पर ही प्रतिवर्ष शुल्क प्राप्त किया जायेगा न कि उपरोक्त निर्धारित फीस।

8- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2015-16 से निर्धारित किया जा रहा है जो शैक्षिक सत्र 2015-16 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा (मेयों मेडिकल कालेज,बाराबंकी को छोड़कर)। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। विषयगत कालेज उपर्युक्त निर्धारित शुल्क से कम धनराशि लेने के लिए स्वतंत्र है।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट www.afrcup.in एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)

विशेष सचिव।

संख्या-2858(1)/71-2-15-तद्दिनॉक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, मेडिकल/डेण्टल काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछडा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी,आजमगढ़/लखनऊ/गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर/गोरखपुर/कानपुर एवं बाराबंकी।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
5. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, सम्बन्धित मेडिकल/डेण्टल कालेज, को शुल्क निर्धारण सम्बन्धी गणना पत्र की प्रति सहित।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।